DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
MO- 9415376545
B.A PART-I (Sub/Gen.)
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No.................. Date 18/04/20

जलमंडल तथा वायुमण्डल भी विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त राज्य के क्षेत्र में प्रादेशिक समुद्र, समुद्र तट से 12 मील तक सामुद्रिक क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं।

(3) सरकार — सरकार राज्य की आत्मा है क्योंकि इसी के माध्यम से राज्य की इच्छाओं को मूर्तता प्राप्त होती है। गार्नर के अनुसार "सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के अभाव में ~~जनसंख्या~~ जनता एक असमूह, असंगठित, अराजकतावादी जनसमूह के रूप में होगी जिसके पास सामूहिक कार्य करने के लिए कोई साधन नहीं होंगे," विचारक गिडिंग्स ने कहा है कि "सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है।"

सरकार के अनेक रूप या प्रकार हैं, किसी राज्य द्वारा कौन-सी शासन प्रणाली अपनायी जाती है, यह उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ~~क्योंकि~~ एक ही प्रकार की शासन प्रणाली सभी राज्यों में सफल नहीं होगी। राज्य की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वह शान्ति व सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए विधियों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। सरकार का रूप राजतांत्रिक, कुलीन तांत्रिक, लोक तांत्रिक या अधिनायक वादी हो सकता है परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा ब्लण्टशली ने कहा है कि- "यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अन्त हो जाएगा।" सरकार का स्वरूप कुछ भी हो परन्तु यह निश्चित है कि सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है।

(4) संप्रभुता — संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का प्राणतत्व है। एक निश्चित भूखंड में रहने वाले लोगों को जिनकी अपनी सरकार हो, राज्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें आन्तरिक सर्वोच्चता न प्राप्त हो। और वे किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त न हो। विलोबी के अनुसार- "संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है।"

PTO

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
B.A PART- I (Sub./Gen.)
Mo- 9415376545
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No................. Date 18/04/20

गार्नर के अनुसार – "संप्रभुता राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है, तथा राज्य के अन्तर्गत विद्यमान सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं।" यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो उसे अन्य मानव समुदायों से पृथक करती है।

'संप्रभुता' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक जिन बोदाँ द्वारा किया गया। बोदाँ के अनुसार "~~संप्रभु~~ संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है।" जिसका शाब्दिक अर्थ 'सर्वोच्चता' होता है।

संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं –
- आंतरिक
- बाह्य

(1) आंतरिक संप्रभुता – इसका आशय है – राज्य के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति तथा विद्यमान संस्थाएँ, राज्य की विधियों और आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

(2) बाह्य संप्रभुता — बाह्य संप्रभुता का आशय यह है कि – राज्य किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। बाह्य संप्रभुता में यह धारणा है कि राज्य अपने वैदेशिक सम्बन्धों के निर्धारण में पूर्णरूप से स्वतंत्र है।

(समाप्त)

Scanned with CamScanner